न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 97/2017/223 आरटीए

1. पोकरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 13 जाजू अस्पताल के पास नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. बन्नेसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 13 जाजू अस्पताल के पास नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी नोहर प्र0सं0 198/2012 अनवानी पोकरसिंह बनाम बनेसिंह आदि

श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांक –26.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलांट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खाता विभाजन प्रस्तुत किया कि चक 6 बारानी तहसील नोहर मे कुल 5.313 है0 भूमि मे वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 बहिस्सा बराबर 1/2–1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 अपने हक व हिस्सा की भूमि को मुताबिक बाहमी बंटवारा काश्त करते आ रहे है। बाहमी बंटवारा के आधार पर खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया, जिसमे प्रतिवादी सं. 1 ने दावा को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा मय कांउटर क्लेम प्रस्तुत किया और बाहमी बंटवारा से इन्कार कर पारिवारिक बंटवारा दिनांक 29.07.92 को होने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वाद खारिज करते हुए काउंटर क्लेम प्रतिवादी सं. 1 डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी ने तनकी सं. 1 को दस्तावेजी सबूत एवं मौखिक साक्ष्य से भलीभांति साबित किया कि वादग्रस्त भूमि रिकार्ड मे मुश्तरका दर्ज है एंव काश्त की सुविधा के लिए बंटवारा कर रखा है जिसके मुताबिक खाता व लगान तकसीम किया जावे। उसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने दावा खारिज करने मे कानूनी भूल की है। प्रतिवादी ने तनकी सं. 2 को किसी भी तरीके से साबित नही किया

मात्र पारिवारिक बंटवारा दिनांक 29.07.1992 को आधार मानकर विचारण न्यायालय ने पारिवारिक बंटवारा दिनांक 29.07.92 के मुताबिक कांउटर क्लेम प्रतिवादी डिक्री किया है जबकि पारिवारिक बंटवारा दिनांक 29.07.92 रजिस्टर्ड भी नही है कानून दस्तावेजी रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। पारिवारिक बंटवारा दिनांक 29.07.92 सद्भावना पर आधारित नही है और ना ही बंटवारा के आधार पर आज तक वादी एवं प्रतिवादी काबिज हुए है उसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये विधि विरूद्ध निर्णय किया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1997 पेज 365 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 के पास रोही मौजा चक 6 बारानी की प्रश्नगत भूमि मुश्तरका खातेदारी भूमि थी तथा उक्त भूमि के साथ दिनांक 29.07.92 को अपने अन्य सम्पति के साथ फैमलीसेटलमेंट कर लिया तथा पारिवारिक समझौता मे अपीलांट को रोही मौजा चक 6 बारानी के प.न. 309/416 मु.न. 305 के कि.न. 3/0.227, 4/0.228, 5/0.228, 6 ता 8, 13 ता 15 कुल 2.2010 है0 व रेस्पो0 सं. 1 को रोही मौजा चक 6 बारानी के प.न. 310/416 मु.न. 304 कि.न. 1/0.228, 2/0.228, 3/0.228, 4/0.224, 5/0.228, 6 ता 12 प्रत्येक 0.253 कुल 2.9110 है0 के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार अलग अलग कब्जा काश्त मे चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 द्वारा जवाबदावा मय कांउटर क्लेम प्रस्तुत कर पारिवारिक बंटवारा दिनांक 29.07.92 के आधार पर खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार विवेचन करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। जो सही है। अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1995 पेज 130, आरबीजे 2009 पेज 687 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलांट का तर्क है कि चक 6 बारानी तहसील नोहर मे कुल 5.313 है0 भूमि मे वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 बहिस्सा बराबर 1/2–1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 अपने हक व हिस्सा की भूमि को मुताबिक बाहमी बंटवारा काश्त करते आ रहे है। बाहमी बंटवारा के आधार पर खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया, जिसमे रेस्पो0 सं. 1 ने दावा को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा मय कांउटर क्लेम प्रस्तुत किया और बाहमी

बंटवारा से इन्कार कर पारिवारिक बंटवारा दिनांक 29.07.92 को होने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वाद खारिज करते हुए काउंटर क्लेम प्रतिवादी सं. 1 डिक्री किया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि के संबंध मे कोई पारिवारिक बंटवारा नही हुआ बल्कि बाहमी बंटवारा के आधार पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। जबकि रेस्पो0 सं. 1 का तर्क है कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 के पास रोही मौजा चक 6 बारानी की प्रश्नगत भूमि मुश्तरका खातेदारी भूमि थी तथा उक्त भूमि के साथ दिनांक 29.07.92 को अपने अन्य सम्पति के साथ फैमलीसेटलमेंट कर लिया तथा पारिवारिक समझौता के आधार पर अपने हिस्सानुसार अलग अलग कब्जा काश्त मे चली आ रही है।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध मे प्रस्तुत पारिवारिक समझौता दिनांक 29.07.1992 से साबित होता है कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 के मध्य दिनांक 29.07.92 को वादग्रस्त भूमि मे पारिवारिक समझौता हुआ जो गवाहान की उपस्थिति मे तस्दीक करवाया गया। जिस पर अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 1 के बतौर हस्ताक्षर उपस्थिति अंकित है। इस प्रकार पारिवारिक समझौता अपीलांट पोकरसिंह व रेस्पो0 सं. 1 बनेसिंह की सहमति से तस्दीक किया गया जिस पर बतौर गवाहान दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। अपीलांट पूर्व मे सहमति के आधार पर हुये पारिवारिक समझौता से इन्कार कर मात्र बाहमी बंटवारा के आधार लेकर दावा प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसमे किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय मे बिना किसी त्रुटि एवं औचित्य के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण एवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या 97/2017/223 आरटीए

1. पोकरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 13 जाजू अस्पताल के पास नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्ट

—: बनाम :—

1. बन्नेसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 13 जाजू अस्पताल के पास नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी नोहर प्र0सं0 198/2012 अनवानी पोकरसिंह बनाम बनेसिंह आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 26.02.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ